वर्ष - 06 अंक - 71

सहयोग शुल्क : रु.1 / नवंबर 2022

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी

ॐकार फाउंडेशन ट्रस्ट

"दिव्यांगों की आत्मनिर्भरता देश की आत्मनिर्भरता है "

(संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी)

"दिव्यांग भाई बहनों के पुनर्वसन के लिए सरकार संनिष्ठ कार्य कर रही है "-

(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी)

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेब्रलपाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटी से असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदनपत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज

सिविल सर्जन का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाणपत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाणपत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

दिव्यांगो के विकास के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें संयुक्त और व्यक्तिगत रुप से भी प्रयास करती है । सरकार का उदेश्य दिव्यांगो को मुख्य धारा में लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है । किसी भी दिव्यांगो को केवल नगद राशि देकर उनका पुनर्वसन नहीं किया जा सकता । क्योंकि नगद राशि खतम होते ही फिर से हाथ लंबाने की परिस्थिति पैदा हो जाती है इसलिए किसी भी जरुरतमंद को आत्मनिर्भर बनाना अति आवश्यक है । दिव्यांग को आत्मनिर्भर बनाने से सरकार की जिम्मेदारी में भी कमी आयेगी साथ ही दिव्यांगो को समाज में सम्मान मिलेगा । स्वावलंबन उनका सम्मान बढाने के साथ उनमें आत्मविश्वास का भी निर्माण करता है ।

विभिन्न कानूनों के अंतर्गत राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को दिव्यांगों के पुनर्वसन के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गये हैं, जिसके तहत सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही है । सरकार के इन प्रयासों में विभिन्न सेवाभावी संगठन और स्वैच्छिक संगठन भी अपना योगदान दे रहे हैं।

दिव्यांगो के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं लागू की गई है इसकी सही जानकारी जरुरतमंद दिव्यांगों तक पहुंचाना अति आवश्यक है ।कई योजनाओं के बारे में दिव्यांगो के पास जानकारी न होने के कारण वे आवश्यक योजनाओं के लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं । तो सरकार इस दिशा में भी योग्य कार्य करेगी तो अधिक से अधिक जरुरतमंद दिव्यांग योजनाओं का लाभ ले पाएंगे । इस अंक में सरकार की कुछ योजनाओं की जानकारी दी गई है उम्मीद है सभी दिव्यांगों के लिए फायदेमंद साबित होगी ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

नवंबर - 2022, पृष्ठ संख्या - 16

वर्ष - 6 अंक - 71

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦

संतश्री सद्गुरु ॐऋषि स्वामी

✦ सह-संपादक ✦

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००७

(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

दिव्यांगता प्रमाणपत्र और उसके लाभ

दिव्यांग भाई बहनों के पुनर्वसन के लिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाएं अमली है । इन योजनाओं का लाभ लेने से दिव्यांगजनों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है । यह योजनाएं केवल उन्हें आर्थिक रुप से स्वावलंबी बनाने के लिए ही नहीं है किंतु इनसे उनके जीवन में सामाजिक और मानसिक विकास की दिशा के द्वार भी खुलेंगे । आत्मनिर्भरता दिव्यांगो को सम्मान और आत्मविश्वास देगी ।ऐसी विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए जरुरी जानकारी होना आवश्यक है ।इन सभी योजनाओं के लाभ के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है ।

Disability Certificate

Certificate No.: HR0510619710004652 **Date: 06/08/2008**

This is to certify that I/We have carefully examined Shri **Roshan Lal Panwar** Son of Shri **Jai Singh** Date of Birth **08/03/1971** Age **47 Year(s)** Male, Registration No. **0605/00000/1807/0066312** resident of House No. **Vpo Dhand Dist Kaithal, Main Gali, Near Bihari Das Chowk - 136020** Sub District **Fatehpur Pundri** District **Kaithal** State / UTs **Haryana**
Whose photograph is affixed above, and I/We satisfied that:

(A) He is a case of Locomotor Disability
(B) The diagnosis in his case is **Right Leg**

(C) He has **70%**(in figure) **Seventy** percent(in words) Permanent in relation to his (part of body) as per guidelines (to be specified).

The applicant have been submitted the following document(s) as proof of residence
Nature of Document(s): Aadhaar card

दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए अपने दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ राशनकार्ड के साथ संबंधित जिले के सिविल होस्पिटल में स्वयं रूबरू जाकर केस निकलवाकर संबंधित (हड्डियों, आँख, कान, नाक या मानसिक रोग) डॉक्टर के पास जाने से दिव्यांगो को उनकी दिव्यांगता की रूबरू जांचकर कितने प्रतिशत दिव्यांगता है उसका प्रमाणपत्र सिविल सर्जन देते हैं । ऐसे लोगों में दिव्यांगता का प्रमाण कम-ज्यादा हो सकता है ।

इस बारे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता का प्रमाणपत्र दिया जाता है जो एस.टी बस में मुफ्त यात्रा, स्कॉलरशीप,लोन एवं अन्य लाभ के लिए उपयोगी है । हर दिव्यांग व्यक्ति को ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से दिव्यांगो को दिए जानेवाले विभिन्न लाभ और सहायता बिना किसी रुकावट के जल्दी से मिल सके और हर बार दिव्यांगता प्रमाणपत्र की आवश्यकता न पडे ।

सत्यमेव जयते

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

दिव्यांगो के लिए प्रमाणपत्र

दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए पात्रता

(1) 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए

(2) 80 प्रतिशत से अधिक मुकबधिरता वाले व्यक्ति

(3) 80 प्रतिशत से अधिक द्रिष्टहिनता वाले व्यक्ति

(4) 70 प्रतिशत या उससे कम बुद्धिअंक वाले मंदबुद्धि व्यक्ति

(5) गुजरात राज्य के मूलनिवासी

दिव्यांगता प्रमाणपत्र से मिलनेवाले लाभ

(1) दिव्यांग व्यक्ति को गुजरात राज्य एस.टी निगम की गुर्जर नगरी,लक्झरी और वोल्वो समेत हर प्रकार की बसो में गुजरात की सीमा में निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलता है।

(2) दिव्यांग साधन सहाय

(3) दिव्यांग, द्रष्टिहिन, श्रवणमंद, मंदबुद्धि के छात्रों को शिष्यवृत्ति का लाभ

(4) सरकार की विभिन्न अमली दिव्यांग कल्याणकारी योजनाओं का लाभ

पहचानपत्र देने की योजना

(1) संबंधित विभाग के विशेषज्ञ तबीब, आर. एम. ओ, सिविल सर्जन के द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता के प्रतिशत आइ.क्यु दर्शानेवाले प्रमाणपत्र का झेरोक्ष कोपी

(2) आवेदनपत्र के उपर स्टेम्प साइज का फोटो लगाकर साथ में ऐसा ही एक फोटो प्रस्तुत करें

(3) आवेदक के निवास प्रमाणपत्र का झेरोक्ष नकल

(4) जन्मप्रमाणपत्र का प्रमाणित झेरोक्ष कोपी

(5) उचित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कास्ट (जाति) सर्टिफिकेट का प्रमाणित झेरोक्ष कोपी

(6) गुजरात के निवासी होने का प्रमाणपत्र

(7) ब्लडग्रुप दर्शानेवाला प्रमाणपत्र (अगर उपलब्ध है तो)

(8) शिक्षा का प्रमाणपत्र (संभव हो तो)

(9) आधारकार्ड नंबर-राशनकार्ड नंबर

(10) अपना कोई पहचानचिह्न दर्शाना होगा

इस प्रमाणपत्र (पहचानपत्र) के लिए उम्र या शिक्षा का कोई बंधन नहीं है ।

मानसिक दिव्यांगो के लिए दिव्यांग प्रमाणपत्र में मानसिक दिव्यांगता का प्रतिशत दर्शाने संबंधी (सामाजिक न्याय और अधिकारित विभाग के संबंधित अधिनियम) के आदेशानुसार जिल्ला समाज सुरक्षा अधिकारी द्वारा मानसिक दिव्यांगों को दिए जानेवाले प्रामणपत्र में अब बुद्धि अंक और दिव्यांगता कितने प्रतिशत है यह भी दर्शाना होगा । इस में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई गाइडलाइन में उसके मानदंड दर्शाये गये हैं । 70 बुद्धि अंक की 25 प्रतिशत मानसिक दिव्यांग प्रतिशत के साथ तुलना की जा सकती है ।25 प्रति शत या उससे अधिक मानसिक दिव्यांगता वाले लाभार्थी को मानसिक दिव्यांगता के लाभ मिल सके उस हिसाब से पहचान पत्र देने की कारवाई करने के आदेश और सुझाव निदेशक श्री, समाज सुरक्षा कार्यालय और उनके माध्य से सभी जिला समाज सुरक्षा अधिकारियों को दिए गये हैं ।

• नेत्रहिन-अस्थिविषयक-श्रवणमंद और मंदबुद्धि जैसी दिव्यांगता से ग्रसित सभी भाई बहनों को पहचान पत्र अपने संबंधित जिला समाज सुरक्षा अधिकारी द्वारा ही दिए जाते हैं ।

• आवश्यकता के समय इस पहचान पत्र को प्रस्तुत कर विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है ।

• जिला सिविल होस्पिटल के सर्जन द्वारा जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाणपत्र में वह व्यक्ति कितने प्रतिशत दिव्यांग है उसका उल्लेख किया जाता है और उससे मिले पहचान पत्र से विभिन्न लाभ मिलते हैं ।

लाभ किसे नहीं मिल सकता

(1) मान्य दिव्यांगता से रहित दिव्यांग को लाभ नहीं मिलेंगे

दिव्यांग होने का पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए छपा हुआ आवेदनपत्र जिले की समाज सुरक्षा अधिकारी की कचहरी से लेना होगा । यह आवेदनपत्र निःशुल्क दिया जाता है । आवेदनपत्र में जरुरी जानकारी भरने के बाद उसके साथ मांगे हुए प्रमाणपत्रों की प्रमाणित झेरोक्ष कोपी जोडें ।

यह फोर्म अपने संबंधित जिला समाज सुरक्षा अधिकारी की कचहरी में जमा कराने के बाद फोटो वाला पहचान पत्र निःशुल्क दिया जाता है ।पहचान पत्र में लाभार्थी का नाम, पता, जन्म तारीख, शिक्षा, ब्लडग्रुप, दिव्यांगता का प्रकार, उसकी मात्रा और पहचान चिह्न के साथ अन्य आवश्यक जानकारी दी जाती है ।

वोइस टू दिव्यांग

दिव्यांगों को विभिन्न यात्राओं में मिलने वाली राहत

गुजरात की सीमा में एस.टी बस में यात्रा के लाभ

सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए एस.टी बसो में यात्रा के दौरान दिव्यांगों को सुविधाएं देने का आदेश जारी किया गया है ।

(1) दिव्यांगों को हर पांच साल में अपना पहचान पत्र रिन्यु करवाना पडता था उसमें उनको राहत देने के लिए अब दिव्यांग पहचान पत्र आजीवन दिया जाएगा ।

(2) दिव्यांगो के लिए इसमें कोई आय मर्यादा लागू नहीं होगी जो थी उसे रद किया गया है ।

(3) दिव्यांगो को पहले केवल लोकल और लोकल एक्सप्रेस बस में ही निशुल्क यात्रा का लाभ मिलता था वो अब गुर्जरनगरी, इन्टरसिटी, लक्झरी और वोल्वो बस में भी निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा ।

(4) 40 प्रतिशत या उससे अधिक अस्थि विषयक दिव्यांग को निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा और 70 से कम बुद्धि आंक वाले मानसिक दिव्यांग के साथ साथ उसके सहायक को भी निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा ।

(5) पहले 100 प्रतिशत अंधत्व और मूक बधिर को ही योजना का लाभ मिलता था लेकिन अब तीव्र दिव्यांगता अर्थात 80 प्रतिशत और उससे अधिक अंधत्व और मुक बधिर को भी इस योजना का लाभ मिलेगा ।

(6) 80 प्रतिशत से अधिक दृष्टिहिनता वाले दिव्यांग को और उसके सहायक को भी निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा ।

(7) 80 प्रतिशत या उससे अधिक मूक बधिरता वाले व्यक्ति को निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा लेकिन उसके सहायक को लाभ नहीं मिलेगा ।

(8) 75 प्रतिशत से अधिक अस्थि विषयक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा और उसके सहायक को टिकट खर्च के 50 प्रतिशत शुल्क देना होगा ।

रेलवे मुसाफ़री में मिलनेवाले लाभ

विभिन्न दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को रेल यात्रा में राहत दी जाती है । इस में व्यक्ति की दिव्यांगता को ध्यान में रखकर उन्हें और उनके सहायक को 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत की राहत मिलती है ।

मेइल-एक्षप्रेस गाडीयों के जो मूल यात्रा शुल्क होते हैं उस में ही राहत मिलती है लेकिन आरक्षण फिस, सुपरफास्ट चार्ज आदि खर्च पूरे भरने होंगे । यह राहत केवल टिकट बारी या आरक्षण केन्द्रों पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगी । चालू यात्रा में आधी यात्रा से राहत का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा । राहत का लाभ लेनेवाले यात्री को अपने साथ राहत टिकट, पहचान पत्र, डॉक्टर का प्रमाणपत्र साथ में रखना होगा । हेन्डिकेप कन्सेशनल टिकट पर यात्रा करने वाले दिव्यांगो के लिए स्लीपर क्लास में दो सीटें और बर्थ इयरमार्क की गई है । इन दो बैठकों का रिजर्वेशन कोटापश्चिम रेलवे के सभी आरक्षण केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा । कुछ ट्रेनों में विशेष दिव्यांगों के लिए अलग से कोच भी लगाया जाता है ।

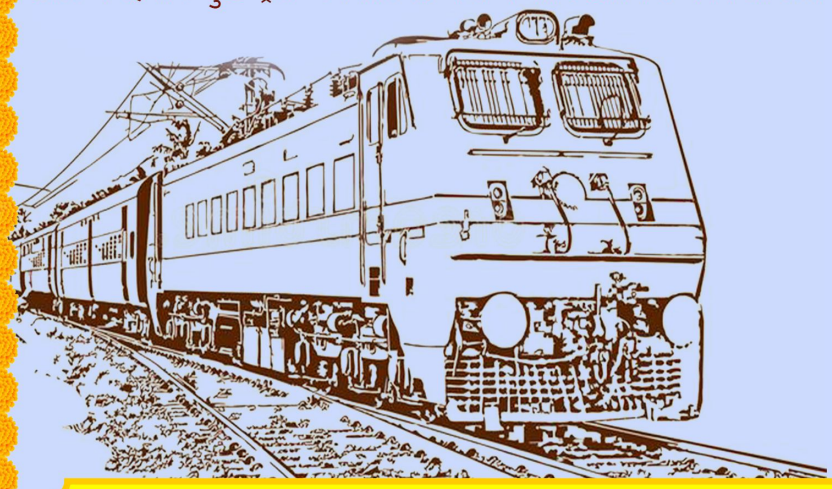

विमानयात्रा में मिलनेवाले लाभ

द्रष्टिहिन व्यक्तियों को एअर इन्डिया में सिंगल जर्नी में 50 प्रतिशत कन्सेशन मिलता है । राहत लेने के लिए मूल प्रमाणपत्र के साथ-साथ उसकी प्रमाणित कोपी भी प्रस्तुत करनी होगी ।द्रष्टिहिन व्यक्ति के साथ कोई सहायक न होने पर पहले से हवाई अड्डे पर सूचना देने से एअर होस्टेस या अन्य किसी कर्मचारी की सहायता प्राप्त हो सकती है । जिन दिव्यांगो के पास प्रमाणपत्र न हो उन्हें भी एअरलाइन द्वारा आवश्यक सहायता के साथ साथ व्हीलचेयर, एम्ब्युलिफ्ट जैसे उपकरण भी उपलब्ध होंगे ।

वोइस टू दिव्यांग

राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगों को मिलनेवाली साधन सहाय

दिव्यांग साधन सहाय के लिए पात्रता

(1) 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता
(2) द्रष्टिहिन और श्रवणमंद
(3) गुजरात राज्य के निवासी
(4) दिव्यांगता पहचान पत्र धारक व्यक्ति

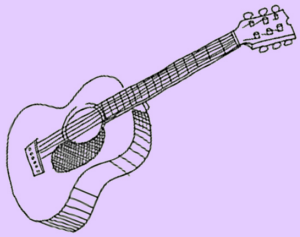

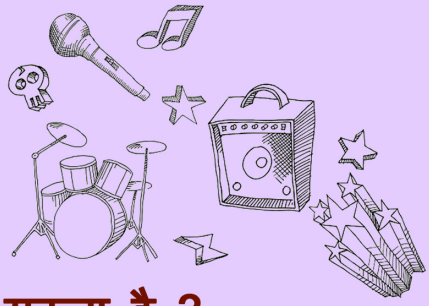

आर्थिक साधन सहाय में क्या मिल सकता है ?

(1) दिव्यांग को कृत्रिम अवयव, बैसाखी, बुट आ केलिपर्स ,तीन पहिया साइकिल, दो पहिया साइकिल
(2) दिव्यांग को स्वरोजगार के लिए साधन दिए जाते हैं जैसे कि चार पहियोंवाला ठेला, सिलाई मशीन
(3) श्रवणमंद व्यक्ति को हियरिंग एइड और अन्य सहायक सामग्री
(4) द्रष्टिहिन व्यकित को संगीत के सधन, ब्रेईल कीट और अन्य सहायक सामग्री
(5) मंद बुद्धि व्यक्ति को एम.आर चाइल्ड कीट
(6) आवेदनपत्र जिला समाज सुरक्षा अधिकारी की कचहरी से निशुल्क मिलता है ।
(7) आवेदनपत्र में आवश्यक जानकारी भरकर आवेदनपत्र जिला समाज सुरक्षा अधिकारी कचहरी में जमा करवा दें ।

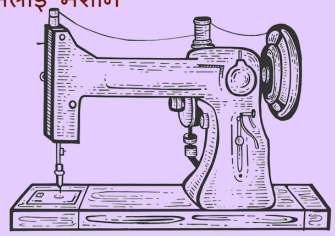

आवेदनपत्र के साथ कौन से प्रमाणपत्र जोंडें

(1) दिव्यांग पहचान पत्र की प्रमाणित झेरोक्ष नकल

(2) स्वरोजगार के लिए अनुभव या तालीम का प्रमाणपत्र

(3) दिव्यांग को उनकी आवश्यकतानुसार साधन सहाय के लिएफार्म भरने के बाद उस वित्तीय वर्ष के लिए मंजूर कर साधन सहाय दी जाती है । मंजूर करने की सत्ता जिला समाज सुरक्षा अधिकारी को दी गई है ।

दिव्यांग लाभार्थी को दो तरह से साधनों की आवश्यकता होती है

(1) एक साधन अपनी शारीरिक मुश्केलियों को दूर करने के लिए और

(2) दूसरे साधन आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनने के लिए (स्वरोजगारके लिए)

सरकार ने सहाय की राशि जो पहले **6000** रुपए थी वह अब बढ़ाकर **10,000** रुपए कर दी है । आयु मर्यादा जो पहले 16 से 60 तक थी उस मर्यादा को भी दूर कर दिया है । दिव्यांग व्यक्तियों का पुनःस्थापन करने के लिए आयु मर्यादा दूर कर दी गई है ।

अगर पांच साल के बाद तीन पहियों वाली साइकिल या अन्य कोई साधन बिगड जाए तो दूबारा साधन सहाय मंजूर की जाती है । इस योजना में साधन सहाय नगद राशि के रुप में नहीं दी जाती केवल साधन के रुप में ही दी जाती है ।

इन्दिरा गांधी नेशनल डीसएबिलिटी पेन्शन स्कीम
(संत सुर दास योजना)

लाभ किसे मिल सकता है ?

1. आवेदक की उम्र 79 साल से कम होनी चाहिए
2. 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति को या जो कृत्रिम अंग से भी हिलचाल नहीं कर सकते ऐसे दिव्यांगो को, 71 प्रतिशत डेसिबल या उससे अधिक श्रवण मंद व्यक्ति, 80 प्रतिशत से ज्यादा द्रष्टिहीनता, 49 या उससे कम बुद्धि अंक के मंदबुद्धि व्यक्ति जो 10 साल से गुजरात राज्य में स्थायी निवास करते हो उन्हें यह लाभ मिल सकता है ।
3. दिव्यांग व्यक्ति का नाम गरीबी रेखा में समाविष्ट परिवारों की सूची में होना चाहिए । (केन्द्र सरकार द्वारा नियत नियमों वाली बी.पी. एल सूची नंबर समेत आवेदन होना चाहिए)
4. राज्य सरकार द्वारा जारी दिव्यांग पहचान पत्र होना चाहिए ।

क्या लाभ मिल सकते है ?

1. 0 से 17 साल से कम आयु के दिव्यांग व्यक्ति को मासिक 400 रुपए
2. 18 से 79 साल उम्र के दिव्यांग व्यक्ति को मासिक 600 रुपए
3. आवेदक को सहाय की राशि मनी ऑर्डर के माध्यम से उसके पते पर भेजी जाती है । 18 से 79 की उम्र के लाभार्थियों की सहाय राशि उनके बैंक अकाउन्ट में जमा की जाती है ।

आवेदन पत्र के साथ कौन से दस्तावेज संलग्न करें

1. दिव्यांग पहचान पत्र का झेरोक्ष कोपी
2. उम्र प्रमाणपत्र
3. बी.पी.एल सूची नंबर-राशन कार्ड का झेरोक्ष कोपी

सहाय कब बंध की जाती है ?

1. आवेदक की उम्र 79 साल पूर्ण होने पर और उनके परिवार की वार्षिक आय नियत आय से अधिक हो तब.

इस योजना के आवेदन पत्र संबंधित जिला समाज सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में और तालुका जनसेवा केन्द्र से निःशुल्क मिलते हैं ।आवेदन पत्र के उपर पासपोर्ट साइज की फोटो लगाकर, साथ में पहचान पत्र का झेरोक्ष कोपी, राशनकार्ड (बी.पी.एल) के झेरोक्ष कोपी संलग्न कर जमा करने होगे । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बी.पी.एल. सूची में नाम होने का सक्षम अधिकारी का स्कोर के साथ प्रमाणपत्र (0 से 16 तक) देना होगा ।शहरी क्षेत्रों के लए केन्द्र सरकार के शहरी विकास विभाग की गाइडलाइन के अनुसार लाभार्थी गुणांक वाले बी.पी.एल लाभार्थियों की अलग से सूची हर म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका के द्वारा तैयार की गई है ।उस सूची में शामिललाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा ।

दिव्यांग विधवा महिलाओं को मकान निर्माण के लिए सहाय

गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दिव्यांग विधवा महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 54,500 रुपए की सहायता राशि दी जाती है ।

लाभ किसे मिलता है

1. 18 से 60 साल की दिव्यांग विधवा महिला जो 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हो उसे केवल एक ही बार इस योजना का लाभ मिल सकता है ।
2. गाँव पंचायत में रजिस्टर्ड बिलकुल मिट्टी का कच्चाजैसा घर जो रहने लायक न हो ऐसी दिव्यांग विधवा महिला को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है ।
3. आवेदक दिव्यांग विधवा महिला के नाम पर या उनके स्वर्गस्थ पति के नाम पर गाँव पंचायत-रेवन्यू सीटी सर्वे या अन्य सक्षम कार्यालय के दफ्तर में कोई प्लोट होना चाहिए जिस पर उस महिला का कब्जा होना जरूरी है ।
4. रेवन्यु-सीटी सर्वे में अगर प्लोट रजिस्टर्ड न हो लेकिन रजिस्टर्ड दस्तावेज से दर्ज मिलकत तबदिल हुई हो ऐसे जमीन के प्लोट के कब्जेदार दिव्यांग विधवा महिला को यह सहायता मिल सकती है ।
5. आवेदक जिस स्थान पर अपना घर बनाना चाहते हैं उस शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में पांच साल से निवास करते हो ।
6. सरकार की अन्य किसी आवास योजना का लाभ लिया हो ।
7. दिव्यांग विधवा महिला को अपने पति के निधन का सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पति के निधन की तारीख दर्शायी हो ।
8. दिव्यांगता के लिए जिला सिविल सर्जन के द्वारा जारी अधिकृत दिव्यांगता का प्रमाणपत्र और उसके आधार पर जिला समाज सुरक्षा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. इस योजना में परिवार के अंतर्गत वह स्वयं, उनके बच्चे या सौतेले बच्चे माता-पिता या सास-ससुर जो उसके साथ रहते हो उनका समावेश होता है ।

ऊपर दर्शायी गयी शर्तों का पालन करने वाली दिव्यांग विधवा महिला को जिला समाज सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय से नियत आवेदन पत्रनिशुल्क प्राप्त कर उसमें जरूरी जानकारी भरकर जरूरी प्रमाणपत्रों के साथ जमा करना होगा ।

दिव्यांग महिलाओं के लिए लोन सहाय

दिव्यांग-द्रष्टिहीन महिलाओं के लिए घर दिवड़ा योजना (गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम.लि)

गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लि. महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यकतानुसार सुविधा-सहाय तालीम देकर महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास करने का उदेश्य रखता है । इस उदेश्य की पूर्ति के लिए सामजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न संकलित प्रवृत्तियां करते हैं ।

घर दिवड़ा योजनाः इस योजना का मुख्य उदेश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालेपरिवार की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक विकास के लिए सहाय करना है । इस योजना के अंतर्गत आर्थिक प्रवृत्ति के लिए 50,000 रुपए की मर्यादा में बैंकों द्वारा लोन (ऋण) दिया जाता है ।

पात्रता: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 68,000 हजार रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 47,000 हजार से कम हो ऐसी 18 से 50 साल की किसी भी महिला को इस योजना का लाभ मिल सकता है ।

लोन सबसिडी

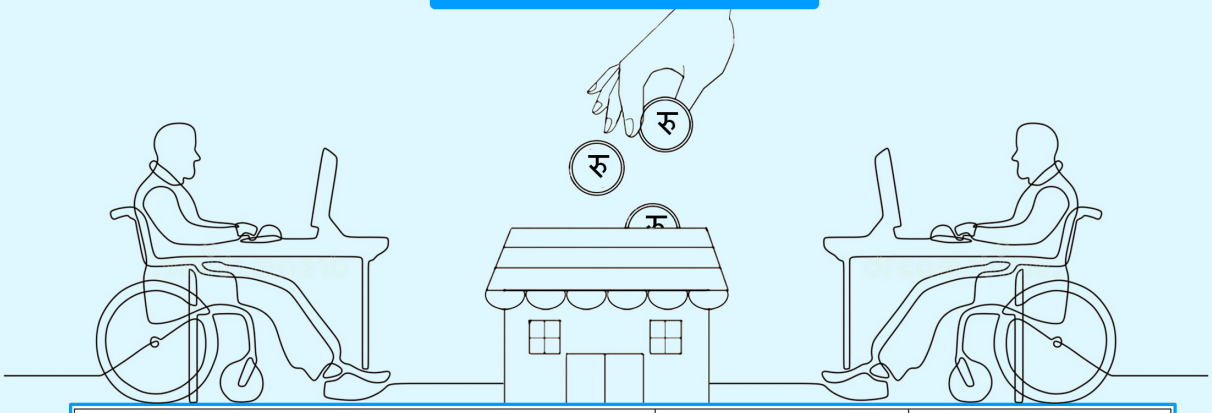

लोन की राशि	40% से कम दिव्यांगताके लिए	40% से अधिक दिव्यांगता के लिए
20,000 रुपए तक	50%	40%
20,000 से 50,000 रुपए तक	30%	40%
सबसिडि की महत्तम मर्यादा	12,500	15,000

लोन के लिए- इस योजना का फार्म जिले के फिल्ड ऑफिसर से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं ।फार्म के साथ राशन कार्ड, आय का प्रमाणपत्र, जाति और उम्र का प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी प्रमाणपत्रों के साथ फार्म भरकर जमा करवाएं ।

व्यवसाय, जंगल उपज, इंजीनियरिंग उद्योग, केमिकल, सौंदर्य प्रसाधन आदि व्यवसायों के लिए लोन मिलता है ।

द्रष्टिहीन महिलाओं के लिए सूक्ष्म शाख -माइक्रोक्रेडिट परियोजना-स्वयंसिद्ध

स्वयं सिद्ध माइक्रोक्रेडिट परियोजना का उद्देश्य क्रिस्टोफेल ब्लाइन्डेनमिशन के आर्थिक सहयोग से द्रष्टिहिन महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्वसन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है ।

इस परियोजना में गुजरात राज्य की निवासी 18 से 60 साल की द्रष्टिक्षति प्रमाणपत्र धारक किसी भी महिला को 15,000 हजार और विशेष केस में 25,000 तक की माइक्रोक्रेडिट लोन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है । स्वयंसिद्ध माइक्रोक्रेडिट परियोजना में निम्नलिखित हेतुओं के लिए द्रष्टिहिन महिलाओं को ऋण दिया जाता है -

1. व्यावसायिक या अन्य कोई भी आर्थिक प्रवृत्ति शुरु करने, विकसित करने या आगे बढ़ाने के लिए
2. प्रशासन और आयोजन तालीम के लिए
3. द्रष्टिहिन महिलाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी तालीम के लिए
4. बहु कौशल्य विकसित करने के लिए
5. हुनर, मनोरंजन कला और कारीगरों को प्रोत्साहन देने के लिए
6. स्वरोजगार और नौकरी प्राप्त करने लायक बनें ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने के लिए
7. उनके आवास निर्माण, सुधार, में सहायता देने के लिए
8. विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षकों या खेलकूद प्रशिक्षकों की सहायता प्राप्त करने के लिए
9. उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए की जाने वाली किसी भी प्रवृत्ति के लिए

उपर्युक्त किसी भी उदेश्य हेतु हर द्रष्टिक्षति ग्रस्त महिला को महत्तम **15000** का ऋण **36** किश्तों में **6** प्रति शत ब्याज दर के साथ दिया जाता है ।

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट
"માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા"
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट
ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)
संचालित
ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर
मानसिक दिव्यांग बच्चों के
लिए नि:शुल्क तालीमी संस्था
शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे
सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365